



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1410]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 13, 2010/आषाढ़ 22, 1932

No. 1410]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 13, 2010/ASADHA 22, 1932

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2010

का.आ. 1663(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 17 के साथ पठित धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रोन्नति) नियम, 1998 को अधिकांश करते हुए उन बातों को सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, इन नियमों की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय बैंक और समर्थित बैंकों से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रोन्नति) नियम, 2010 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ,—

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है;
- (ख) "समिति" से इन नियमों के नियम 11 के अधीन बोर्ड द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;
- (ग) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम से अधिनियम की धारा 30 के अधीन विरचित सेवा विनियम अभिप्रेत है;
- (घ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूचियों में से कोई अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ङ) दूसरी अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के संबंध में "समर्थक बैंक" से अभिप्रेत है,—
 - (i) दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रादेशिक समर्थक बैंक, और
 - (ii) जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को समर्थन करते हैं।
- (च) अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु उन अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में क्रमशः दिए गए हैं।

3. पदों का प्रवर्ग.-

(1) (क) बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जाएगा : --

- (1) समूह “क” अधिकारी
 - (i) स्केल I (सहायक प्रबंधक)-कनिष्ठ प्रबंधन
 - (ii) स्केल II (प्रबंधक)-मध्य प्रबंधन
 - (iii) स्केल III (ज्येष्ठ प्रबंधक)-मध्य प्रबंधन
 - (iv) स्केल IV (मुख्य प्रबंधक)-ज्येष्ठ प्रबंधन
 - (v) स्केल V (सहायक महाप्रबंधक)-ज्येष्ठ प्रबंधन

स्पष्टीकरण : इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, समनुदेशित कार्य या कृत्यों और अधिकारी के स्केल पर निर्भर करते हुए, अधिकारियों को अध्यक्ष द्वारा कृत्यकारी रूप से शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक या महाप्रबंधक के तौर पर पदाभिहित किया जा सकेगा ।

(ख) समूह “ख” - कार्यालय सहायकों से मिलकर बनेगा (बहु प्रयोजनीय)

(ग) समूह “ग” - कार्यालय परिचरों से मिलकर बनेगा (बहु प्रयोजनीय)

(2) प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के समूह “क” समूह “ख” और समूह “ग” में इन नियमों की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित होंगे ।

4. पदों का सृजन.-

बोर्ड समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उतनी अपेक्षित संख्या में पदों का सृजन कर सकेगा जितना समय-समय पर इन नियमों की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

5. रिक्तियां-

बोर्ड समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में सीधी भर्ती या प्रोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित कर सकेगा ।

6. रिक्तियों का भरा जाना-

(i) बोर्ड द्वारा नियम 5 के अधीन अवधारित सभी रिक्तियां इन नियमों और इन नियमों की तीसरी अनुसूची में अंतर्निष्ठ उपबंधों के अनुसार प्रोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी ;

(ii) स्केल iv और स्केल v ज्येष्ठ प्रबंधन के अधिकारी समर्थक बैंक के विनिश्चय के अनुसार उसी समर्थक बैंक द्वारा समर्थित किए गए किसी अन्य प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में महाप्रबंधक के रूप में पदस्थापना किए जाने के दायी होंगे ।

7. नियुक्ति प्राधिकारी-

अधिकारियों के संबंध में अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी होगा और कर्मचारियों के संबंध में महाप्रबंधक नियुक्ति प्राधिकारी होगा, यदि ऐसा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाए :

परंतु यदि महाप्रबंधक के पद पर कोई पदधारी नहीं है तो कर्मचारियों के संबंध में भी अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी होगा ।

8. सीधी भर्ती-

अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की रिक्तियां, प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक द्वारा इन नियमों की तीसरी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अध्वधीन रहते हुए भरी जाएगी ।

9. सीधी भर्ती के लिए अभिकरण-

(i) समूह 'ग' कर्मचारियों से भिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों पर लिखित परीक्षा द्वारा उम्मीदवारों के चयन के लिए सीधी भर्ती बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान या समर्थक बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अभिकरण को सौंपी जाएगी ।

(ii) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान या अनुमोदित अभिकरण नियम 8 में यथा अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा तथा लिखित परीक्षा में अर्हता उम्मीदवारों की सूची संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भेजेगा ।

10. समूह 'ग' पदों के लिए भर्ती-

समूह 'ग' के पद प्रादेशिक ग्रामीण बैंक द्वारा रोजगार कार्यालय, सैनिक बोर्ड या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों या व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्ग के कल्याण का ध्यान रखने वाले अन्य ऐसे अभिकरणों के प्रतिनिर्देश से भरे जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, जिसकी पद भरने वाले प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पर अधिकारिता है :

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा ।

11. समिति का गठन और कृत्य-

(i) बोर्ड तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट पदों पर चयन या प्रोन्नति के प्रयोजन की अनुशंसा के लिए समय-समय पर, तीसरी अनुसूची में प्रत्येक पद के नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली समिति का गठन कर सकेगा ।

(ii) समिति उतनी अवधि तक कार्य करेगी जितनी बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए ।

(iii) समिति, इन नियमों की तीसरी अनुसूची में उल्लिखित पदों पर, उस अनुसूची में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, भर्ती या प्रोन्नति के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगी ।

12. आरक्षण -

इन नियमों का अनुसरण करते समय, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में सुसंगत होने की सीमा तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति के उपबंध लागू होंगे।

13. निर्वचन की शक्ति-

इन नियमों के निर्वचन की शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित होगी और केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से ऐसे प्रशासनिक अनुदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने या उनके कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक हों।

पहली अनुसूची

(नियम 3 देखें)

प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में पदों का प्रवर्ग

क्रम संख्यांक	अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्गीकरण	पद का वर्णन	पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	समूह 'क'	कनिष्ठ प्रबंधन अधिकारी (स्केल I)	सहायक प्रबंधक
2	समूह 'क'	मध्य प्रबंधन अधिकारी (स्केल II)	प्रबंधक
3	समूह 'क'	मध्य प्रबंधन अधिकारी (स्केल III)	ज्येष्ठ प्रबंधक
4	समूह 'क'	ज्येष्ठ प्रबंधन अधिकारी (स्केल IV)	मुख्य प्रबंधक
5	समूह 'क'	ज्येष्ठ प्रबंधन अधिकारी (स्केल V)	सहायक महाप्रबंधक
6	समूह 'ख'	कार्यालय सहायक (बहुप्रयोजनीय)	कार्यालय सहायक (बहुप्रयोजनीय)
7	समूह 'ग'	कार्यालय परिचर (बहुप्रयोजनीय)	कार्यालय परिचर (बहुप्रयोजनीय)

दूसरी अनुसूची
(नियम 2ड देखें)
प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों और उनके समर्थक बैंकों की सूची

क्रम संख्यांक	प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का नाम	समर्थक बैंक	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	आंध्र बैंक	आंध्र प्रदेश
2	सप्तगिरी ग्रामीण बैंक	इंडियन बैंक	आंध्र प्रदेश
3	दक्कन ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
4	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	आंध्र प्रदेश
5	आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक	आंध्र प्रदेश
6	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	अरुणाचल प्रदेश
7	लांगपी देहांगी रूरल बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	असम
8	असम ग्रामीण विकास बैंक	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	असम
9	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	बिहार
10	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	बिहार
11	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	बिहार
12	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	यूको बैंक	बिहार
13	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	छत्तीसगढ़
14	दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक	देना बैंक	छत्तीसगढ़
15	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	छत्तीसगढ़
16	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	गुजरात
17	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	देना बैंक	गुजरात
18	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	गुजरात
19	हरियाणा ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	हरियाणा
20	गुड़गांव ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक	हरियाणा
21	हिमाचल देहाती बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	जम्मू-कश्मीर
22	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	हिमाचल प्रदेश
23	इलाकाई ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	हिमाचल प्रदेश
24	जे एंड के ग्रामीण बैंक	जे एंड के बैंक लि०	जम्मू-कश्मीर
25	झारखंड ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	झारखंड
26	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	झारखंड
27	प्रगति ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	कर्नाटक
28	चिकमंगलूर कोडागू ग्रामीण बैंक	कारपोरेशन बैंक	कर्नाटक
29	कृष्णा ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	कर्नाटक

30	कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	कर्नाटक
31	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक	कर्नाटक
32	विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक	विजया बैंक	कर्नाटक
33	साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	केरल
34	नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक	केरल
35	शारदा ग्रामीण बैंक	इलाहाबाद बैंक	मध्य प्रदेश
36	झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	मध्य प्रदेश
37	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	मध्य प्रदेश
38	सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	मध्य प्रदेश
39	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	मध्य प्रदेश
40	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	मध्य प्रदेश
41	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	यूको बैंक	मध्य प्रदेश
42	सीवा सीधी ग्रामीण बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	मध्य प्रदेश
43	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
44	वेनगंगा कृष्ण ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	महाराष्ट्र
45	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	महाराष्ट्र
46	मणिपुर रुरल बैंक	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	मणिपुर
47	मेघालय रुरल बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	मेघालय
48	मिजोरम रुरल बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	मिजोरम
49	नागालैंड रुरल बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	नागालैंड
50	रुशीकुल्य ग्राम्य बैंक	आंध्र बैंक	उड़ीसा
51	बैतरनी ग्राम्य बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	उड़ीसा
52	नीलाचल ग्राम्य बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	उड़ीसा
53	उत्कल ग्राम्य बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	उड़ीसा
54	कलिंगा ग्राम्य बैंक	यूको बैंक	उड़ीसा
55	पुदुवई भारतियार ग्राम बैंक	इंडियन बैंक	पुडुचेरी
56	सतलुज ग्रामीण बैंक	पंजाब एंड सिंध बैंक	पंजाब
57	मालवा ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	पंजाब
58	पंजाब ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	पंजाब
59	बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	राजस्थान
60	मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ राजस्थान	राजस्थान
61	हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	राजस्थान
62	एमजीबी ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	राजस्थान

63	जयपुर थार ग्रामीण बैंक	यूको बैंक	राजस्थान
64	राजस्थान ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	राजस्थान
65	पल्लवन ग्राम बैंक	इंडियन बैंक	तमिलनाडु
66	पांडयन ग्राम बैंक	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	तमिलनाडु
67	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	त्रिपुरा
68	इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक	इलाहाबाद बैंक	उत्तर प्रदेश
69	बड़ीदा यूपी ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ीदा	उत्तर प्रदेश
70	आर्यवर्त ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	उत्तर प्रदेश
71	श्रेयस ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	उत्तर प्रदेश
72	बलिया इटावा ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	उत्तर प्रदेश
73	सर्व यूपी ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	उत्तर प्रदेश
74	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	उत्तर प्रदेश
75	प्रथमा बैंक	सिंडिकेट बैंक	उत्तर प्रदेश
76	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	उत्तर प्रदेश
77	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक	यूपी राज्य सहकारी बैंक	उत्तर प्रदेश
78	नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय बैंक	बैंक ऑफ बड़ीदा	उत्तर प्रदेश
79	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	उत्तर प्रदेश
80	उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	पश्चिमी बंगाल
81	बांगिया ग्रामीण विकास बैंक	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	पश्चिमी बंगाल
82	पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक	यूको बैंक	पश्चिमी बंगाल

तीसरी अनुसूची
(नियम 8 और नियम 11 देखें)

समूह “क”, “ख” और “ग” पदों के अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न प्रवर्गों की नियुक्ति करने के लिए चाहे सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा निम्नलिखित रूप में प्रभावी होगी :—

भाग -1 समूह “क”
भर्ती और प्रोन्नति

कनिष्ठ प्रबंधन अधिकारी (स्केल 1)			
I	(क)	पद का नाम	कनिष्ठ प्रबंधन अधिकारी (स्केल 1)
	(ख)	वर्गीकरण	समूह “क”
	(ग)	नियुक्ति की पद्धति	50% सीधी भर्ती द्वारा और समूह ‘ख’ से 50% प्रोन्नति द्वारा
	(अ)	सीधी भर्ती हेतु	
	(i)	आयु	18 वर्ष से ऊपर किन्तु 28 वर्ष से नीचे (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों या अन्य आरक्षित प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिलनीय)
	(ii)	न्यूनतम अर्हता	(i) किसी विद्या शाखा में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या इसके समतुल्य । उन अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी, जो कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, चिकित्सा विज्ञान, कृषि इंजीनियरी, मत्स्य पालन, कृषि विपणन और सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंध, विधि, अर्थशास्त्र और लेखा विद्या में डिग्री रखता है ; (ii) स्थानीय भाषा में निपुणता, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ; (iii) कम्प्यूटर जानकारी या ज्ञान की अतिरिक्त अर्हता होगी
	(iii)	चयन प्रक्रिया	चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा जो निम्नलिखित है- लिखित परीक्षा- 70 अंक

			<p>साक्षात्कार - 30 अंक कुल अंक - 100 अंक</p> <p>लिखित परीक्षा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था या किसी प्रतिभू बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी।</p> <p>लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंगे (क) तर्क शक्ति (ख) सांख्यिकी अभिरुचि (ग) सामान्य ज्ञान और (घ) सामान्य अंग्रेजी या हिन्दी।</p>
			<p>अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने पर साक्षात्कार के लिए अर्हक होगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने पर साक्षात्कार के लिए अर्हक होगा।</p> <p>वे सभी अभ्यर्थी, जो लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता के लिए निर्धारित अंक प्राप्त किए हैं योग्यता के क्रम में 1: 3 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।</p> <p>प्रत्येक प्रवर्ग में सफल अभ्यर्थियों की योग्यता सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त अनुपालन के आधार पर पृथक रूप से बनाई जाएगी।</p>
	(iv)	योग्यता सूची तैयार करना	<p>कनिष्ठ प्रबंधन अधिकारी (स्केल 1) की नियुक्ति के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त अनुपालन में उनकी श्रेणी के आधार जो सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए पृथक रूप से तैयार की जाएगी।</p> <p>चयनित अभ्यर्थियों की संख्या भर्ती के लिए सूचीबद्ध की जाएगी जो अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी। इसके अतिरिक्त, चयनित अभ्यर्थियों का अतिरिक्त पैल अधिसूचित रिक्तियों की 50% से अधिक नहीं होगी जो अत्यावश्यकता की पूर्ति के लिए प्रत्येक प्रवर्ग में दो अभ्यर्थियों की न्यूनतम सहित बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जा सकेंगी।</p>
(आ)		प्रोन्नति हेतु	

	(i)	प्रोन्नति की पद्धति	प्रोन्नति के लिए रिक्तियों को 50% साधारण चैनल के अधीन और 50% फास्ट ट्रैक चैनल के अधीन नीचे दी गई पात्रता तथा चयन प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा -
	(ii)	पात्रता	<p>प्रोन्नति ऐसे कर्मचारियों में से की जाएगी जो पूर्णकालिक और नियमित आधार पर कार्यालय सहायक (बहु प्रयोजन) का पद धारण करता है।</p> <p><u>साधारण चैनल</u></p> <p>पूर्णकालिक और नियमित आधार पर कार्यालय सहायक (बहु प्रयोजन) के रूप में दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रोन्नति के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के अनुसार न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की पहली अप्रैल को गणना में ली जाएगी जिसमें पद रिक्त होने वाला है या वास्तव में रिक्त हो गया है। एक वर्ष की सेवा के पात्रता मापदंड में छूट ऐसे अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिन्होंने भारत की बैंकिंग और वित्त संस्था, जूनियर एसोसिएट आफ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स से उत्तीर्ण किया है और ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में, एक और वर्ष जो भारतीय की बैंकिंग और वित्त संस्था सर्टिफाइड एसोसिएट आफ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स उत्तीर्ण की है। तथापि, ऐसी छूट सेवा अवधि में प्रवेश के दौरान केवल एक बार दी जाएगी।</p> <p>परंतु यह कि ऐसे किसी कर्मचारी पर प्रोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसकी फीडर ग्रेड पद पर पुष्टि न हो गई हो।</p> <p><u>विचाराधीन क्षेत्र</u></p> <p>रिक्तियों की संख्या का तीन गुणा जिसके अंतर्गत पुनरावृत्ति भी सम्मिलित है।</p> <p><u>स्पष्टीकरण</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. साधारण चैनल के अधीन रिक्तियां फास्ट ट्रैक चैनल के अधीन रिक्तियों को भरने के पश्चात् भरी जाएगी। 2. वे कर्मचारी जो साधारण चैनल के अधीन पात्र हैं फास्ट ट्रैक

			<p>चैनल के अधीन भी विचार किए जाएंगे ।</p> <p>3. वे दोनों चैनलों के लिए साधारण लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से होंगे ।</p>
			<p><u>फास्ट ट्रैक चैनल:</u></p> <p>पूर्णकालिक और नियमित आधार पर कार्यालय सहायक (बहु प्रयोजन) के रूप में छह वर्ष का अनुभव होना चाहिए और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए । प्रोन्नति के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के अनुसार न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की पहली अप्रैल को गणना में ली जाएगी जिसमें पद रिक्त होने वाला है या वास्तव में रिक्त हो गया है । एक वर्ष की सेवा के पात्रता मापदंड में छूट ऐसे अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिन्होंने भारत की बैंकिंग और वित्त संस्था, जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से उत्तीर्ण किया है और ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में, एक और वर्ष जो भारतीय की बैंकिंग और वित्त संस्था, रार्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स उत्तीर्ण की है। तथापि, ऐसी छूट सेवा अवधि में प्रवेश के दौरान केवल एक बार दी जाएगी ।</p> <p>परंतु यह कि ऐसे किसी कर्मचारी पर प्रोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसकी फीडर ग्रेड पद पर पुष्टि न हो गई हो ।</p> <p>विचाराधीन क्षेत्र</p> <p>सभी पात्र कर्मचारी ।</p>
	(iii)	चयन प्रक्रिया	<p>चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अंतिम पांच वर्ष की कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा, जिनका अंक प्रभाजन नीचे दिया गया है -</p> <p>लिखित परीक्षा- 50 अंक साक्षात्कार - 20 अंक अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट - 30 अंक कुल अंक - 100 अंक</p> <p>अभ्यर्थी से सामान्य अंग्रेजी या हिन्दी और सामान्य बैंकिंग जानकारी की सम्मिलित परीक्षा की लिखित परीक्षा में भाग लेने</p>

			की अपेक्षा की जाएगी लिखित परीक्षा के आवंटित किए गए 50 अंकों को और विभाजित किया जाएगा जो निम्नलिखित हैं— (i) सामान्य अंग्रेजी या हिन्दी - 20 अंक और (ii) सामान्य बैंकिंग जानकारी- 30 अंक कुल अंक - 50 अंक
	(iv)	योग्यता सूची तैयार करना	<p><u>साधारण चैनल</u></p> <p>लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के कुल 50 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम अर्हता होगी ।</p> <p>प्रोन्नति के लिए सफल अभ्यर्थियों का चयन ऊपर से प्रारंभ होकर ज्येष्ठता के घटते हुए क्रम में बनाई जाएगी और इस चैनल के लिए अधिसूचित की गई स्थितियों की संख्या के समतुल्य कुल 50 प्रतिशत तक उक्त न्यूनतम अर्हता स्कोर चयन करने के लिए उनको प्राप्त करना होगा ।</p> <p><u>फास्ट ट्रैक चैनल</u></p> <p>लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के कुल 60 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम अर्हता होगी ।</p> <p>चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर होगा जो अभ्यर्थियों को स्थितियों की संख्या के विस्तार को योग्यता के घटते हुए क्रम में रखा जाएगा ।</p> <p>इस चैनल के अधीन स्थितियां जो अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या के अचयन के कारण भरने से छूट गई हैं समाप्त हो जाएंगी और सामान्य चैनल से भरी जाएंगी ।</p>
	(घ)	परस्पर ज्येष्ठता	परस्पर ज्येष्ठता फीडर पदों के सामान्य चैनल या फास्ट ट्रैक चैनल के द्वारा चयनित सभी सूचीबद्ध अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता अपरिवर्तनीय होगी ।
	(ङ)	साक्षात्कार के लिए	समिति निम्नलिखित से मिलकर होगी, अर्थात् :— (1) संबद्ध प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष- अध्यक्ष

		समिति का गठन	(2) प्रायोजित बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक - सदस्य (3) राष्ट्रीय बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक- सदस्य टिप्पण- यदि समिति का कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है तो बोर्ड अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को अतिरिक्त सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।
	(घ)	सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए पैनल की वैधता	पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
II			मध्य प्रबंधन अधिकारी (स्केल II)
	(क)	पद का नाम	मध्य प्रबंधन अधिकारी (स्केल II)
	(ख)	वर्गीकरण	समूह "क"
		नियुक्ति की पद्धति	सीधी भर्ती द्वारा 25 % (जिसमें विशेषज्ञ काउंटर, जो सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, कोष, विधि, विपणन, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि से 10 % और अनुभव प्राप्त अधिकारियों से 15%) और 75% प्रोन्नति द्वारा।
	(अ)		सीधी भर्ती के लिए
	(i)	आयु	21 वर्ष से ऊपर किन्तु 32 वर्ष से नीचे (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों या अन्य आरक्षित प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिलनीय)
		न्यूनतम अर्हता और पात्रता	(I) सूचना प्रौद्योगिकी किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक/संचार/कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री या कुल योग का न्यूनतम 50% अंक सहित या उसके समतुल्य ; वांछनीय अनुभव : एसपी, पीएचपी, सी++, जावा, वीबी, वीसी, आसीपी आदि में प्रमाणपत्र। अनुभव : एक वर्ष

			<p>(II) चार्टर्ड अकाउंटेंट</p> <p>अनुभव : एक वर्ष</p> <p>(III) विधि अधिकारी</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या कुल योग का न्यूनतम 50% अंक सहित या उसके समतुल्य ;</p> <p>अनुभव :</p> <p>अधिवक्ता के रूप में दो वर्ष या बैंक या वित्तीय संस्थानों में विधि अधिकारी के रूप में दो वर्ष से अन्यून काम किया हो ।</p> <p>(IV) कोषागार प्रबंधक</p> <p>अभ्यर्थी चार्टर्ड अकाउंटेंट या ख्याति प्राप्त संस्था से वित्त में एमबीए होगा ।</p> <p>अनुभव : एक वर्ष</p> <p>(V) विपणन अधिकारी</p> <p>ख्याति प्राप्त किसी संस्थान से विपणन में एमबीए</p> <p>अनुभव : एक वर्ष</p> <p>(VI) कृषि अधिकारी</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विद्या शाखा में कृषि, बागवानी, डेयरी, पशुपालन, वानिकी, चिकित्सा विज्ञान, कृषि इंजीनियरी, मत्स्य पालन में डिग्री रखता है या कुल योग का न्यूनतम 50% अंक सहित उसके समतुल्य ;</p> <p>अनुभव : दो वर्ष</p> <p>(VII) सामान्य बैंकिंग अधिकारी</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या शाखा में कुल योग का न्यूनतम 50% अंक सहित या उसके समतुल्य डिग्री रखता है । उन अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी जो बैंकिंग, वित्त, विपणन, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, चिकित्सा विज्ञान, कृषि इंजीनियरी, मत्स्य पालन, कृषि विपणन और सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंध, विधि, अर्थशास्त्र और लेखा विद्या में डिग्री/डिप्लोमा रखता है ;</p> <p>अनुभव- बैंक या वित्तीय संस्थान में अधिकारी के रूप में, दो वर्ष</p>
	(iii)	चयन	अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार

		प्रक्रिया	<p>पर होगा। लिखित परीक्षा बैंक कार्मिक चयन संस्था या किसी प्रायोजित बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी।</p> <p>अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने पर साक्षात्कार के लिए अर्हक होगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने पर साक्षात्कार के लिए अर्हक होगा।</p> <p>वे सभी अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता के लिए निर्धारित अंक प्राप्त किए हैं योग्यता के क्रम में 1: 3 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।</p> <p>प्रत्येक प्रवर्ग में सफल अभ्यर्थियों की योग्यता सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त अनुपालन के आधार पर पृथक रूप से बनाई जाएगी।</p>
		(iv) योग्यता सूची तैयार करना	<p>मध्य प्रबंधन अधिकारी (स्केल II) की नियुक्ति के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त अनुपालन में उनकी श्रेणी के आधार पर, जो सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए पृथक रूप से तैयार की जाएगी।</p> <p>चयनित अभ्यर्थियों की संख्या भर्ती के लिए सूचीबद्ध की जाएगी जो अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी। इसके अतिरिक्त, चयनित अभ्यर्थियों का अतिरिक्त पैन्ल अधिसूचित रिक्तियों की 50% से अधिक नहीं होंगी जो अत्यावश्यकता की पूर्ति के लिए तैयार की प्रत्येक प्रवर्ग में दो अभ्यर्थियों की न्यूनतम सहित बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जा सकेंगी।</p>
	(आ)	प्रोन्नति हेतु	
		(i) प्रोन्नति की पद्धति	<p>प्रोन्नति के लिए रिक्तियों को 50% साधारण चैनल के अधीन और 50% फास्ट ट्रैक चैनल के अधीन नीचे दी गई पात्रता तथा चयन प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा -</p>
		(ii) पात्रता	<p>प्रोन्नति ऐसे अधिकारियों में से की जाएगी जो पूर्णकालिक और नियमित आधार पर, कनिष्ठ प्रबंधन अधिकारी (स्केल I) पद धारण किए हुए हैं।</p>

			<p><u>साधारण चैनल</u></p> <p>पूर्णकालिक और नियमित आधार पर कनिष्ठ प्रबंधन अधिकारी (स्केल I) के रूप में दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रोन्नति के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के अनुसार न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की पहली अप्रैल को गणना में ली जाएगी जिसमें पद रिक्त होने वाला है या वास्तव में रिक्त हो गया है। एक वर्ष की सेवा के पात्रता मापदंड में छूट ऐसे अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिन्होंने भारत की बैंकिंग और वित्त संस्था, जूनियर एसोसिएट आफ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स उत्तीर्ण किया है और ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में, एक और वर्ष जो भारतीय की बैंकिंग और वित्त संस्था सर्टिफाइड एसोसिएट आफ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स उत्तीर्ण की है। तथापि, ऐसी छूट सेवा अवधि में प्रवेश के दौरान केवल एक बार दी जाएगी।</p> <p>परंतु यह कि ऐसे किसी कर्मचारी पर प्रोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसकी फीडर ग्रेड पद पर पुष्टि न हो गई हो।</p> <p><u>विचाराधीन क्षेत्र</u></p> <p>रिक्तियों की संख्या का तीन गुणा जिसके अंतर्गत पुनरावृत्ति भी सम्मिलित है।</p> <p><u>स्पष्टीकरण</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. साधारण चैनल के अधीन रिक्तियां फास्ट ट्रैक चैनल के अधीन रिक्तियों को भरने के पश्चात् भरी जाएंगी। 2. वे कर्मचारी जो साधारण चैनल के अधीन पात्र हैं फास्ट ट्रैक चैनल के अधीन भी विचार किए जाएंगे। 3. वहां दोनों चैनलों के लिए सामान्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से होंगे। <p><u>फास्ट ट्रैक चैनल</u></p> <p>कनिष्ठ प्रबंधन अधिकारी (स्केल I) छह वर्ष के लिए होगा।</p>
--	--	--	---

			<p>प्रोन्नति के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के अनुसार न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की पहली अप्रैल को गणना में ली जाएगी जिसमें पद रिक्त होने वाला है या वास्तव में रिक्त हो गया है। एक वर्ष की सेवा के पात्रता मापदंड में छूट ऐसे अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिन्होंने भारत की बैंकिंग और वित्त संस्था, जूनियर एसोसिएट आफ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स उत्तीर्ण किया है और ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में, एक-और वर्ष जो भारतीय की बैंकिंग और वित्त संस्था, सर्टिफाइड एसोसिएट आफ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स उत्तीर्ण की है। तथापि, ऐसी छूट सेवा अवधि में प्रवेश के दौरान केवल एक बार दी जाएगी।</p> <p><u>विचाराधीन क्षेत्र</u></p> <p>सभी पात्र कर्मचारी।</p>
		(iii) चयन प्रक्रिया	<p>चयन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार में कार्य निष्पादन के आधार पर और गत पांच वर्षों के लिए अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर नीचे दिए गए अंकों के प्रभाजन के अनुसार किया जाएगा-</p> <p>लिखित परीक्षा- 50 अंक साक्षात्कार - 20 अंक अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट - 30 अंक कुल अंक - 100 अंक</p> <p>लिखित परीक्षा में आवंटित किए गए 50 अंकों को और विभाजित किया जाएगा जो निम्नलिखित हैं-</p> <p>(i) भाग "क" - 25 अंक (ii) भाग "ख" - 25 अंक</p> <p>अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी जो दो भागों में होगी अर्थात् भाग (क) में बैंककारी विधि और बैंककारी प्रक्रिया तथा भाग (ख) में ऋण नीति, ऋण प्रबंधन जिनमें पूर्विक्ता सेक्टर अर्थशास्त्र और प्रबंध आते हैं, सम्मिलित होगी।</p>

	(iv)	योग्यता सूची तैयार करना	<p><u>साधारण चैनल</u></p> <p>लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के कुल 50 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम अर्हता होगी ।</p> <p>प्रोन्नति के लिए सफल अभ्यर्थियों का चयन ऊपर से प्रारंभ होकर ज्येष्ठता के घटते हुए क्रम में बनाई जाएगी और इस चैनल के लिए अधिसूचित की गई शक्तियों की संख्या के समतुल्य कुल 50 प्रतिशत अंकों के उक्त न्यूनतम अर्हता स्कोर चयन करने के लिए उनको प्राप्त करना होगा ।</p> <p><u>फास्ट ट्रैक चैनल</u></p> <p>अभ्यर्थियों का चयन समिति द्वारा योग्यता के क्रम में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा ।</p> <p>लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के कुल 60 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम अर्हता होगी । चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर होगा जो अभ्यर्थियों को शक्तियों की संख्या के विस्तार को घटते हुए क्रम में रखा जाएगा ।</p> <p>इस चैनल के अधीन शक्तियां जो अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या के अचयन के कारण भरने से छूट गई हैं समाप्त हो जाएंगी और सामान्य चैनल से भरी जाएंगी ।</p>
	(घ)	परस्पर ज्येष्ठता	परस्पर ज्येष्ठता फीडर पदों के सामान्य चैनल या फास्ट ट्रैक चैनल के द्वारा चयनित सभी सूचीबद्ध अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता अपरिवर्तनीय होगी ।
	(ङ)	साक्षात्कार के लिए समिति का गठन	<p>समिति निम्नलिखित से मिलकर होगी, अर्थात् :--</p> <p>(1) संबद्ध प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष- अध्यक्ष</p> <p>(2) प्रायोजित बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक - सदस्य</p> <p>(3) राष्ट्रीय बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक- सदस्य</p> <p>टिप्पण- यदि समिति का कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या</p>

			अनुसूचित जनजाति का नहीं है तो बोर्ड अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को अतिरिक्त सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।
	(च)	सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए पैनल की वैधता	पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
III			मध्य प्रबंधन अधिकारी (स्केल III)
	(क)	पद का नाम	मध्य प्रबंधन अधिकारी (स्केल II)
	(ख)	वर्गीकरण	समूह "क"
	(ग)	नियुक्ति की पद्धति	10% सीधी भर्ती द्वारा और 90% प्रोन्नति द्वारा।
	(अ)		सीधी भर्ती के लिए
	(i)	आयु	40 वर्ष से नीचे (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य आरक्षित प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिलनीय)
	(ii)	न्यूनतम अर्हता और पात्रता	<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी माध्यम से डिग्री या कुल योग का न्यूनतम 50% अंक सहित उसके समतुल्य ;</p> <p>उन अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी जो बैंकिंग, वित्त, विपणन, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, चिकित्सा विज्ञान, कृषि इंजीनियरी, मत्स्य पालन, कृषि विपणन और सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंध, विधि, अर्थशास्त्र और लेखा विद्या में डिग्री/डिप्लोमा रखता है ;</p> <p>अनुभव- किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में अधिकारी के रूप में, 5 वर्ष का अनुभव</p>
	(iii)	चयन प्रक्रिया	<p>अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा बैंक कार्मिक चयन संस्था या किसी प्रायोजित बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी।</p> <p>अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने पर</p>

साक्षात्कार के लिए अर्हक होगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने पर साक्षात्कार के लिए अर्हक होगा।

वे सभी अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता के लिए निर्धारित अंक प्राप्त किए हैं योग्यता के क्रम में 1: 3 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

प्रत्येक प्रवर्ग में सफल-अभ्यर्थियों की योग्यता सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त अनुपालन के आधार पर पृथक रूप से बनाई जाएगी।

			<p><u>साधारण चैनल</u></p> <p>मध्यस्तरीय प्रबंध अधिकारी (मान 2) के रूप में सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रोन्नति के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के रूप में न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की जिसमें रिक्ति का उद्भूत होना प्रत्याशित है या वास्तव में उद्भूत हो चुकी है, 1 अप्रैल को संगणित की जाएगी। एक वर्ष सेवा के पात्रता मानदंड में शिथिलीकरण ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के भारतीय बैंकर्स संस्थान के कनिष्ठ सहयुक्त (जेएआईआईबी) को पास कर चुके हैं तथा एक वर्ष और का शिथिलीकरण ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में जो भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित सहयुक्त (सीएआईआईबी) को पास कर चुके हैं, दिया जाएगा। तथापि, ऐसा शिथिलीकरण संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान केवल एक बार उपलब्ध होगा :</p> <p>परंतु प्रोन्नति के लिए कोई अधिकारी तब तक विचारित नहीं होगा जब तक कि वह फीडर श्रेणी पद पर पुष्ट नहीं कर दिया जाता।</p> <p><u>विचारधीन क्षेत्र</u></p> <p>पुनर्निर्वाह सहित रिक्तियों की संख्या का तीन गुना।</p> <p><u>स्पष्टीकरण--</u></p> <p>(1) सामान्य प्रणाली के अधीन रिक्तियां, त्वरित प्रणाली के अधीन रिक्तियों को भरने के पश्चात्, भरी जाएगी।</p> <p>(2) ऐसे अधिकारियों पर जो सामान्य प्रणाली के अधीन पात्र हैं, त्वरित प्रणाली के अधीन भी विचार किया जाएगा।</p> <p>(3) त्वरित प्रणाली के लिए लिखित परीक्षा होगी।</p> <p><u>फास्ट ट्रैक चैनल :</u></p> <p>मध्यस्तरीय प्रबंध अधिकारी (मान 2) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रोन्नति के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के रूप में न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की जिसमें रिक्ति का उद्भूत होना प्रत्याशित है या वास्तव में उद्भूत हो चुकी है, 1 अप्रैल को संगणित की जाएगी। एक वर्ष सेवा के पात्रता मानदंड में शिथिलीकरण ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के भारतीय बैंकर्स संस्थान के कनिष्ठ सहयुक्त (जेएआईआईबी) को पास कर चुके हैं तथा</p>
--	--	--	--

			<p>एक वर्ष और का शिथिलीकरण ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में जो भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित सहयुक्त (सीएआईआईबी) को पास कर चुके हैं, दिया जाएगा। तथापि, ऐसा शिथिलीकरण संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान केवल एक बार उपलब्ध होगा :</p> <p>परंतु प्रोन्नति के लिए कोई अधिकारी तब तक विचारित नहीं होगा जब तक कि वह फीडर श्रेणी पद पर पुष्ट नहीं कर दिया जाता।</p> <p><u>विचाराधीन क्षेत्र</u></p> <p>समस्त पात्र अधिकारी।</p>
	(iii)	चयन प्रक्रिया	<p><u>साधारण चैनल</u></p> <p>चयन, साक्षात्कार में और पूर्ववर्ती छह वर्षों के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में नीचे दिए गए अंकों की श्रेणी के अनुसार निष्पादन के आधार पर होगा :</p> <p>साक्षात्कार : 40 अंक</p> <p>निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें : 60 अंक</p> <p>योग : 100 अंक</p> <p>साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हक अंक 50 प्रतिशत होंगे।</p> <p>पूर्ववर्ती छह वर्षों के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों पर, प्रोन्नति के लिए दिए जाने वाले अंकों के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा। निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में भी न्यूनतम अर्हक अंक 50 प्रतिशत होंगे।</p> <p><u>फास्ट ट्रैक चैनल</u></p> <p>चयन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार में और नीचे दिए गए अंकों की श्रेणी के अनुसार पूर्ववर्ती छह वर्षों के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर होगा :</p> <p>लिखित परीक्षा : 50 अंक</p> <p>साक्षात्कार : 20 अंक</p> <p>निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें : 30 अंक</p> <p>योग : 100 अंक</p> <p>लिखित परीक्षा को आबंटित 50 अंक निम्नलिखित प्रकार से</p>

			<p>पुनः विभाजित होंगे :-</p> <p>भाग 'क' : 25 अंक</p> <p>भाग 'ख' : 25 अंक</p> <p>अभ्यर्थियों से निम्नलिखित दो भागों से मिलकर बनने वाली किसी लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी, अर्थात् :-</p> <p>भाग (क) बैंकिंग विधि और बैंकिंग प्रवृत्ति से समाविष्ट ; और</p> <p>भाग (ख) पूर्विकता सेक्टर, अर्थशास्त्र और प्रबंधन सहित प्रत्यय नीति, प्रत्यय प्रबंधन से समाविष्ट ।</p>
	(iv)	योग्यता सूची का तैयार किया जाना	<p><u>साधारण चैनल :</u></p> <p>लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के योग का 50 प्रतिशत, न्यूनतम अर्हक अंक होंगे ।</p> <p>प्रोन्नति के लिए सफल अभ्यर्थियों का चयन इस प्रणाली के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के समान, ज्येष्ठता क्रम में उमर से आरंभ होने वाले नीचे की ओर जाते हुए किया जाएगा और योग के 50 प्रतिशत उक्त न्यूनतम अर्हक अंक पाने वालों का चयन किया जाएगा ।</p> <p><u>फास्ट ट्रैक चैनल :</u></p> <p>अभ्यर्थियों का चयन, समिति द्वारा लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर योग्यता के क्रम में किया जाएगा ।</p> <p>लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में योग का न्यूनतम कटआफ अंक, 60 प्रतिशत होगा । चयन, रिक्तियों की संख्या तक योग्यता के अवरोही क्रम में अभ्यर्थियों को रखते हुए लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में प्राप्त किए गए कुल अंकों पर आधारित होगा ।</p> <p>इस प्रणाली के अधीन रिक्तियां, जो अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या के अचयनित होने के कारण भरने से शेष रह गई हैं, व्यपगत हो जाएगी और सामान्य प्रणाली के द्वारा भरी जाएगी ।</p>
	(घ)	परस्पर ज्येष्ठता	<p>उनके फीडर पदों पर सामान्य प्रणाली या त्वरित प्रणाली के माध्यम से चयनित सभी पैनलित अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता अपरिवर्तित रहेगी ।</p>

	(ड)	साक्षात्कार के लिए समिति की संरचना	समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :- (1) संबद्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष - अध्यक्ष (2) प्रायोजक बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक - सदस्य (3) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक - सदस्य टिप्पण : यदि समिति के सदस्यों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कोई सदस्य नहीं हैं तो बोर्ड, समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त पद के किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ।
	(घ)	सीधी भर्ती के लिए और प्रोन्नति के लिए पैनल की विधिमान्यता	पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।
IV		ज्येष्ठ स्तरीय प्रबंध अधिकारी (स्केल 4)	
	(क)	पद का नाम	ज्येष्ठ स्तरीय प्रबंध अधिकारी (मान 4)
	(ख)	वर्गीकरण	समूह 'क'
	(ग)	नियुक्ति की पद्धति	इसमें इसके पश्चात् दी गई पात्रता और चयन प्रक्रिया के अनुसार प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
	(अ)	प्रोन्नति के लिए	
	(i)	पात्रता	प्रोन्नति, मध्यस्तरीय प्रबंध अधिकारी (मान 3) के पद को चार वर्ष की अवधि के लिए नियमित आधार पर धारण करने वाले अधिकारियों में से की जाएगी । प्रोन्नति के लिए सेवा के वर्ष की संख्या के अनुसार न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की, जिसमें रिक्ति का उद्भूत होना प्रत्याशित है या वास्तव में उद्भूत हो चुकी है, 1 अप्रैल को संगणित की जाएगी । विचाराधीन क्षेत्र समस्त पात्र अधिकारी ।
	(ii)	चयन प्रक्रिया	चयन, साक्षात्कार में और पूर्ववर्ती चार वर्षों के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में संयुक्त निष्पादन के आधार पर नीचे दिए

			<p>गए अंकों की श्रेणी के अनुसार होगा :</p> <p>साक्षात्कार : 40 अंक</p> <p>निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट : 60 अंक</p> <p>योग : 100 अंक</p>
		(iii)	<p>योग्यता सूची का तैयार किया जाना ।</p> <p>प्रोन्नति के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची, साक्षात्कार और निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के संयुक्त निष्पादन के आधार पर योग्यता के क्रम में समिति द्वारा बनाई जाएगी ।</p> <p>प्रोन्नति के लिए पैनलित किए जाने वाले चयनित अभ्यर्थियों की संख्या योग्यता के क्रम में अधिसूचित शक्तियों की संख्या के समान होगी ।</p>
		(iv)	<p>परस्पर ज्येष्ठता</p> <p>उनके फीडर पदों में समस्त पैनलित अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता अपवर्तित रहेगी ।</p>
		(v)	<p>साक्षात्कार के लिए समिति की संरचना ।</p> <p>समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-</p> <p>(1) संबद्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष - अध्यक्ष</p> <p>(2) प्रायोजक बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक - सदस्य</p> <p>(3) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक - सदस्य</p> <p>टिप्पण : यदि समिति के सदस्यों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई सदस्य नहीं है तो बोर्ड, समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या प्रायोजक बैंक, या राष्ट्रीयकृत बैंक से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त हैसियत के किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ।</p>
		(vi)	<p>पैनल की विधिमान्यता ।</p> <p>पैनल एक वर्ष की एक और अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।</p>
	(आ)		<p>प्रतिनियुक्ति के लिए</p>
			<p>मानदंड</p> <p>ऐसे अधिकारी जो उसी प्रायोजक बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सदृश पद धारण कर रहे हैं ।</p>
V			<p>ज्येष्ठ स्तरीय प्रबंध अधिकारी (स्केल 5)</p>
		(i)	<p>पद का नाम</p> <p>ज्येष्ठ स्तरीय प्रबंध अधिकारी (मान 5)</p>

	(ii)	वर्गीकरण	समूह 'क'
	(iii)	नियुक्ति की पद्धति	इसमें इसके पश्चात् दी गई पात्रता और चयन प्रक्रिया के अनुसार प्रोन्नति द्वारा ।
	(iv)	पात्रता	प्रोन्नति, ज्येष्ठ स्तरीय प्रबंध अधिकारी (मान 4) के पद को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियमित आधार पर धारण करने वाले अधिकारियों में से की जाएगी । प्रोन्नति के लिए सेवा के वर्ष की संख्या के अनुसार न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की, जिसमें रिक्ति का उद्भूत होना प्रत्याशित है या वास्तव में उद्भूत हो चुकी है, 1 अप्रैल को संगणित की जाएगी । विचाराधीन क्षेत्र समस्त पात्र अधिकारी ।
	(v)	चयन प्रक्रिया	चयन, साक्षात्कार में और पूर्ववर्ती छह वर्षों के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में संयुक्त निष्पादन के आधार पर नीचे दिए गए अंकों की श्रेणी के अनुसार होगा : साक्षात्कार : 40 अंक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट : 60 अंक योग : 100 अंक
	(vi)	योग्यता सूची का तैयार किया जाना ।	प्रोन्नति के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची साक्षात्कार और निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के संयुक्त निष्पादन के आधार पर योग्यता के क्रम में समिति द्वारा बनाई जाएगी । प्रोन्नति के लिए पैनलित किए जाने वाले चयनित अभ्यर्थियों की संख्या, योग्यता के क्रम में अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के समान होगी ।
	(vii)	परस्पर ज्येष्ठता	उनके फीडर पदों में समस्त पैनलित अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता अपवर्तित रहेगी ।

		(viii)	समिति की संरचना ।	समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :- (1) प्रायोजक बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खंड का महाप्रबंधक - अध्यक्ष (2) प्रायोजक बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला उसी प्रायोजक बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक अध्यक्ष - सदस्य
				(3) महाप्रबंधक की पंक्ति से अन्यून राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - सदस्य टिप्पण : यदि समिति के सदस्यों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई सदस्य नहीं है तो बोर्ड, समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या प्रायोजक बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त हैसियत के किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ।
		(ix)	पैनल की विधिमान्यता ।	पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

टिप्पण : 1. इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पूर्व प्रोन्नति के लिए पात्र पद्धारी, प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए बने रहेंगे ।

2. ऐसे पद्धारी की सेवा, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व प्रोन्नति के लिए पात्र पदों को धारण कर रहे हैं, प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए संगणित किए जाने के लिए बनी रहेगी ।

**भाग 2- समूह “ख”
भर्ती और प्रोन्नति**

कार्यालय सहायक (बहुप्रयोजनीय)			
1	(क)	पद का नाम	कार्यालय सहायक (बहुप्रयोजनीय)
	(ख)	वर्गीकरण	समूह “ख”
	(ग)	नियुक्ति की पद्धति	75% सीधी भर्ती द्वारा और 25% प्रोन्नति द्वारा
	(अ)	सीधी भर्ती हेतु :	
	(i)	आयु	18 वर्ष और 28 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिलनीय आयु)
	(ii)	न्यूनतम अर्हता और पात्रता	(i) किसी विद्या शाखा में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रनातक डिग्री या इसके समतुल्य ; (ii) (क) आवश्यक : स्थानीय भाषा में निपुणता, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ; (ख) वांछनीय : कम्प्यूटर जानकारी में कुशल ।
	(iii)	चयन प्रक्रिया	चयन, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा जो निम्नलिखित प्रकार है- लिखित परीक्षा- 70 अंक साक्षात्कार - 30 अंक लिखित परीक्षा, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान या प्रायोजक बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी । लिखित परीक्षा में (क) तर्क शक्ति (ख) सांख्यिक योग्यता (ग) सामान्य ज्ञान और (घ) सामान्य अंग्रेजी या हिन्दी की परीक्षा सम्मिलित है । अभ्यर्थी, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने पर

			<p>साक्षात्कार के लिए अर्हक होगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने पर साक्षात्कार के लिए अर्हक होगा।</p> <p>वे सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किए हैं, योग्यता के क्रम में 1:3 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे।</p> <p>प्रत्येक प्रवर्ग के सफल अभ्यर्थियों की योग्यता सूचियां, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त निष्पादन के आधार पर पृथक् रूप से बनाई जाएंगी।</p>
		(iv)	<p>योग्यता सूची का तैयार किया जाना</p> <p>कार्यालय सहायक (बहुप्रयोजनीय) की नियुक्ति के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूचियां पृथक् रूप से सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में कुल अंकों पर आधारित उनको प्रदान की गई श्रेणी के आधार पर तैयार की जाएगी।</p> <p>भर्ती के लिए पैनलित किए जाने वाले चयनित अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के समान होगी। उसमें इसके अतिरिक्त ऐसी अधिसूचित रिक्तियों के जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाएं, 50 प्रतिशत से अनधिक चयनित अभ्यर्थियों का अतिरिक्त पैनल, प्रत्येक प्रवर्ग से न्यूनतम दो अभ्यर्थियों सहित अत्यावश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जाएगा।</p>
	(आ)	प्रोन्नति के लिए :	
		(i)	<p>प्रोन्नति की पद्धति</p> <p>रिक्तियों का 70 प्रतिशत, सामान्य प्रणाली के अधीन प्रोन्नति द्वारा और 30 प्रतिशत त्वरित प्रणाली के अधीन इसमें इसके पश्चात् दी गई पात्रता और चयन प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा :-</p>
		(ii)	<p>पात्रता</p> <p>प्रोन्नति, कार्यालय परिचर (बहुप्रयोजनीय) के पद को नियमित आधार पर धारण करने वाले कर्मचारियों में से की जाएगी।</p> <p><u>साधारण चैनल</u></p> <p>कार्यालय परिचर (बहुप्रयोजनीय) के रूप में दस वर्ष का अनुभव तथा दसवीं की परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो। प्रोन्नति के लिए</p>

			<p>सेवा के वर्षों की संख्या के रूप में न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की जिसमें रिक्ति का उद्भूत होना प्रत्याशित है या वास्तव में उद्भूत हो चुकी है, 1 अप्रैल को संगणित की जाएगी।</p> <p>परंतु ऐसे किसी कर्मचारी की प्रोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसकी फीडर श्रेणी पद में पुष्टि न हो चुकी हो।</p> <p><u>विचाराधीन क्षेत्र</u></p> <p>पुनरावर्तकों सहित रिक्तियों की संख्या का तीन गुना।</p> <p><u>स्पष्टीकरण—</u></p> <p>(1) सामान्य प्रणाली के अधीन रिक्तियां, त्वरित प्रणाली के अधीन रिक्तियों को भरने के पश्चात्, भरी जाएगी।</p> <p>(2) ऐसे कर्मचारियों पर, जो सामान्य प्रणाली के अधीन पात्र हैं, त्वरित प्रणाली के अधीन भी विचार किया जाएगा।</p> <p>(3) दोनों प्रणालियों के लिए संयुक्त लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा।</p> <p><u>फास्ट ट्रैक चैनल :</u></p> <p>कार्यालय परिचर (बहुप्रयोजनीय) के रूप में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक सहित पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रोन्नति के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के रूप में न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की जिसमें रिक्ति का उद्भूत होना प्रत्याशित है या वास्तव में उद्भूत हो चुकी है, 1 अप्रैल को संगणित की जाएगी :</p> <p>परंतु ऐसे किसी कर्मचारी की प्रोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसकी फीडर श्रेणी पद में पुष्टि न हो चुकी हो।</p> <p><u>विचाराधीन क्षेत्र</u></p> <p>समस्त पात्र कर्मचारी।</p>
	(iii)	चयन प्रक्रिया	<p>चयन, लिखित परीक्षा और और साक्षात्कार में संयुक्त कार्य निष्पादन के आधार पर नीचे दिए गए अंकों के विभाजन के अनुसार किया जाएगा :</p>

			<p>लिखित परीक्षा : 70 अंक</p> <p>साक्षात्कार : 30 अंक</p> <p>कुल : 100 अंक</p> <p>अभ्यर्थियों से ऐसी लिखित परीक्षा में, जिसमें अंग्रेजी या हिन्दी और अंकगणित की परीक्षा सम्मिलित होगी, भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा को आबंटित 70 अंक निम्नलिखित प्रकार से पुनः विभाजित होंगे :</p> <p>अंग्रेजी या हिन्दी : 35 अंक</p> <p>अंकगणित : 35 अंक</p> <p>कुल : 70 अंक</p>
		(iv)	<p>योग्यता सूची का तैयार किया जाना</p> <p>साधारण चैनल :</p> <p>प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थियों के चयन, पृथक् रूप से सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके संयुक्त निष्पादन के आधार पर होंगे।</p> <p>लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के कुल योग का न्यूनतम कटआफ अंक, 40 प्रतिशत होगा।</p> <p>प्रोन्नति के लिए पैनलित किए जाने वाले चयनित अभ्यर्थियों की संख्या, ऐसे अभ्यर्थियों में से, जिन्होंने न्यूनतम कट-आफ अंक प्राप्त किए हैं, ज्येष्ठता क्रम में अधिसूचित शक्तियों की संख्या के समान होगी।</p> <p>फास्ट ट्रैक चैनल :</p> <p>अभ्यर्थियों का चयन, समिति द्वारा पृथक् रूप से सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में संयुक्त निष्पादन के आधार पर योग्यता के क्रम में किया जाएगा।</p> <p>लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के कुल योग का न्यूनतम कट-ऑफ अंक, 45 प्रतिशत होगा। चयन, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर, शक्तियों की सीमा तक, योग्यता के अवरोही क्रम में अभ्यर्थियों को रखते हुए होगा।</p>

				इस प्रणाली के अधीन रिक्तियाँ, जो अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अचयनित होने के कारण भरने से शेष रह गई हैं, व्यपगत हो जाएंगी और सामान्य प्रणाली द्वारा भरी जाएंगी।
		(घ)	परस्पर ज्येष्ठता	उनके फीडर पदों पर सामान्य प्रणाली या त्वरित प्रणाली के माध्यम से चयनित सभी पैनलित कर्मचारियों की परस्पर ज्येष्ठता अपरिवर्तित रहेगी।
		(ङ)	साक्षात्कार के लिए समिति की संरचना।	समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :- (1) महाप्रबंधक और जहां कोई महाप्रबंधक नहीं है वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - अध्यक्ष (2) संबद्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का, मान 2 की पंक्ति से अन्यून का, बोर्ड द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - सदस्य (3) प्रायोजक बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - सदस्य (4) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - सदस्य टिप्पण : यदि समिति के सदस्यों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य नहीं है तो बोर्ड, समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त पद के किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।
		(च)	सीधी भर्ती के लिए और प्रोन्नति के लिए पैनल की विधिमान्यता।	पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

टिप्पण :

1. इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पूर्व, प्रोन्नति के लिए पात्र पद्धारी, प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए बने रहेंगे।
2. ऐसे पद्धारियों की सेवा, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व प्रोन्नति के लिए पात्र पदों को धारण कर रहे हैं, प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए संगणित किए जाने के लिए बनी रहेगी।

**भाग 3- समूह “ग”
भर्ती**

कार्यालय परिचर (बहुप्रयोजनीय)			
1.	(क)	पद का नाम	कार्यालय परिचर (बहुप्रयोजनीय)
	(ख)	वर्गीकरण	समूह “ग”
	(ग)	नियुक्ति की पद्धति	100% सीधी भर्ती द्वारा
	(घ)	आयु	18 वर्ष और 28 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिलनीय)
	(ङ)	न्यूनतम अर्हता और पात्रता	राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य और ऐसे विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए अन्य अपेक्षित दक्षताएं जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाएं।
	(च)	चयन प्रक्रिया	साक्षात्कार के आधार पर।
	(छ)	योग्यता सूची का तैयार किया जाना	कार्यालय परिचर (बहुप्रयोजनीय) की नियुक्ति के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूचियां पृथक् रूप से सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए साक्षात्कार में उनको प्रदान श्रेणी के आधार पर तैयार की जाएगी। भर्ती के लिए पैनलित किए जाने वाले चयनित अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के समान होगी। उसमें इसके अतिरिक्त ऐसी अधिसूचित रिक्तियों के जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाएं, 50 प्रतिशत से अधिक चयनित अभ्यर्थियों का अतिरिक्त पैनल, प्रत्येक प्रवर्ग के लिए न्यूनतम दो अभ्यर्थियों सहित सभी प्रवर्गों में अत्यावश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जाएगा।
	(ज)	समिति की संरचना।	समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :- (1) महाप्रबंधक और जहां कोई महाप्रबंधक नहीं है वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट मान 3 की पंक्ति से अन्यून का कोई अधिकारी - अध्यक्ष (2) संबद्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मान 2 की पंक्ति से अन्यून का, बोर्ड द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - सदस्य

			(3) प्रायोजक बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - सदस्य
			टिप्पण : यदि समिति के सदस्यों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई सदस्य नहीं है तो बोर्ड, समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त पद के किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।
	(झ)	पैनल की विधिमान्यता	पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

टिप्पण :

1. इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पूर्व, प्रोन्नति के लिए पात्र पदधारी, प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए बने रहेंगे।
2. ऐसे पदधारियों की सेवा, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व प्रोन्नति के लिए पात्र पदों को धारण कर रहे हैं, प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए संगणित किए जाने के लिए बनी रहेगी।

[फा. सं. 7/5/2009-आरआरबी]

कं. वी. ईपन, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम का.आ.895 (अ) तारीख 28.09.1988 के अधीन प्रकाशित किये गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन का.आ.सं0 642(अ) तारीख 29.07.1998 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2010

S.O. 1663(E).—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) read with section 17 thereof and in supersession of the Regional Rural Banks (Appointment and Promotion of Officers and other Employees) Rules, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consultation with the National Bank and the Sponsor Banks specified in the Second Schedule to these rules, hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement.-

- (1) These Rules may be called the Regional Rural Banks (Appointment and Promotion of Officers and Employees) Rules, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-

In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);
- (b) "Committee" means the Committee constituted by the Board under rule 11 of these rules;
- (c) "Regional Rural Bank (Officers and Employees) Service Regulations means the Service Regulations framed under section 30 of the Act;
- (d) "Schedule" means any one of the Schedules to these rules;
- (e) "Sponsor Bank" in relation to Regional Rural Bank specified in column (2) of the Second Schedule means, -
 - (i) the Sponsor Bank specified in column (3) of Second Schedule; and

- (ii) which sponsors the Regional Rural Banks specified in column (2) of the Second Schedule.
- (f) all other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Category of Posts.-

- (1) (a) The officers and employees of the Bank shall be classified as follows:-

(1) Group "A" – Officer

- (i) Scale I (Assistant Manager) - Junior Management
- (ii) Scale II - (Manager) - Middle Management
- (iii) Scale III- (Senior Manager) - Middle Management
- (iv) Scale IV - (Chief Manager) – Senior Management
- (v) Scale V - (Assistant General Manager) – Senior Management

Explanation: For the purposes of these rules, the Officers may be functionally designated by the Chairman, as Branch Manager, Regional Manager or General Manager, depending on the work or functions assigned and the Scale of the Officer.

- (b) Group "B" - shall consist of Office Assistants (Multipurpose).
- (c) Group "C" - shall consist of Office Attendants (Multipurpose).

- (2) Group "A", Group "B" and Group "C" shall consist of officers and employees of each Regional Rural Bank specified in the First Schedule to these rules.

4. Creation of Posts.-

The Board may, create requisite number of vacancies in each category of posts as are specified in the First Schedule to these rules in accordance with the guidelines approved by the Central Government from time to time.

5. Vacancies.-

The Board may determine the number of vacancies in each category of posts to be filled by direct recruitment or promotion, keeping in view the Guidelines approved by Central Government from time to time.

6. Filling up of vacancies.-

(i) All vacancies determined under rule 5 by the Board shall be filled by promotion or direct recruitment in accordance with the provisions contained in these rules and Third Schedule to these rules;

(ii) Officers in Senior Management of Scale IV and Scale V are liable to be posted to any other Regional Rural Bank sponsored by the same Sponsor Bank as General Manager as per the decision of the Sponsor Bank.

7. Appointing Authority.-

The Chairman shall be the Appointing Authority in respect of officers and the General Manager shall be the appointing authority in respect of employees, if so authorised by the Board:

Provided that if there is no incumbent to the post of General Manager, the Chairman shall be the Appointing Authority in respect of employees also.

8. Direct recruitment.-

The vacancies of officers and employees shall be filled by each Regional Rural Bank in accordance with the provisions of Third Schedule of these rules and subject to such guidelines as may be issued by the Central Government from time to time.

9. Agency for Direct Recruitment.-

(i) Written examination for the selection of the candidates by direct recruitment to the posts of officers and employees other than those of Group 'C' employees shall be entrusted to the Institute of Banking Personnel Selection or any other agency approved by the Sponsor Bank.

- (ii) The Institute of Banking Personnel Selection or approved Agency shall follow the procedure as laid down under rule 8 and forward the list of candidates qualified in the written examination to the Regional Rural Bank concerned.

10. Recruitment to the posts of Group 'C'.-

The posts of Group 'C' employee shall be filled in by the Regional Rural Bank after making a reference to the Employment Exchange, Sainik Board or other agencies catering to the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Physically Challenged Persons or other special category of persons as are recognised by the Central Government or the State Government having jurisdiction over the Regional Rural Bank filling the posts:

Provided that preference shall be given to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or guidelines issued by the Central Government in this regard from time to time.

11. Constitution and function of Committee.-

- (i) The Board may, from time to time, constitute Committees consisting of the persons specified under each post in the Third Schedule for the purpose of recommending candidates for recruitment or promotion to the posts referred to in the Third Schedule.

- (ii) The Committees shall function for such period as may be determined by the Board.

- (iii) The Committees shall recommend to the Appointing Authority the candidates for recruitment or promotion to the posts mentioned in the Third Schedule to these rules, in accordance with the provisions contained in that Schedule.

12. Reservation.-

Provisions of Reservation Policy for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Special category of persons as per the Guidelines of Department of Personnel and Training, issued from time to time, to the extent relevant in the context of the Regional Rural Banks, shall apply while following these Rules.

13. Power to Interpret.-

The power to interpret these Rules shall vest in the Central Government and the Central Government may issue such administrative instructions or guidelines in consultation with the National Bank as may be necessary to give effect to and carry out the provisions of these rules or to remove any difficulty in their implementation.

FIRST SCHEDULE

(See rule 3)

Category of posts in each Regional Rural Bank

Serial Number	Classification of Officers and Employees	Description of Post	Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Group "A"	Officer Junior Management (Scale I)	Assistant Manager
2	Group "A"	Officer Middle Management (Scale II)	Manager
3	Group "A"	Officer Middle Management (Scale III)	Senior Manager
4	Group "A"	Officer Senior Management (Scale IV)	Chief Manager
5	Group "A"	Officer Senior Management (Scale V)	Assistant General Manager
6	Group "B"	Office Assistant (Multipurpose)	Office Assistant (Multipurpose)
7	Group "C"	Office Attendant (Multipurpose)	Office Attendant (Multipurpose)

SECOND SCHEDULE

(See rule 2e)

List of Regional Rural Banks and their Sponsor Banks

Serial Number	Name of the Regional Rural Bank	Sponsor Bank	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Chaitanya Godavari Grameena Bank	Andhra Bank	Andhra Pradesh
2	Saptagiri Grameena Bank	Indian Bank	Andhra Pradesh
3	Deecan Grameena Bank	State Bank of Hyderabad	Andhra Pradesh
4	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	State Bank of India	Andhra Pradesh
5	Andhra Pragathi Grameena Bank	Syndicate Bank	Andhra Pradesh
6	Arunachal Pradesh Rural Bank	State Bank of India	Arunachal Pradesh
7	Langpi Dehangi Rural Bank	State Bank of India	Assam
8	Assam Gramin Vikash Bank	United Bank of India	Assam
9	Uttar Bihar Gramin Bank	Central Bank of India	Bihar
10	Madhya Bihar Gramin Bank	Punjab National Bank	Bihar
11	Samastipur Kshetriya Gramin Bank	State Bank of India	Bihar
12	Bihar Kshetriya Gramin Bank	UCO Bank	Bihar
13	Surguja Kshetriya Gramin Bank	Central Bank of India	Chhatisgarh
14	Durg Rajnandgaon Gramin Bank	Dena Bank	Chhatisgarh
15	Chhatisgarh Gramin Bank	State Bank of India	Chhatisgarh
16	Baroda Gujarat Gramin Bank	Bank of Baroda	Gujarat
17	Dena Gujarat Gramin Bank	Dena Bank	Gujarat
18	Saurashtra Gramin Bank	State Bank of Saurashtra	Gujarat
19	Haryana Gramin Bank	Punjab National Bank	Haryana
20	Gurgaon Gramin Bank	Syndicate Bank	Haryana
21	Himachal Gramin Bank	Punjab National Bank	Himachal Pradesh

22	Parvatiya Gramin Bank	State Bank of India	Himachal Pradesh
23	Ellaquai Dehati Bank	State Bank of India	Jammu & Kashmir
24	J&K Grameen Bank	J&K Bank Ltd.	Jammu & Kashmir
25	Jharkhand Gramin Bank	Bank of India	Jharkhand
26	Vananchal Gramin Bank	State Bank of India	Jharkhand
27	Pragathi Gramin Bank	Canara Bank	Karnataka
28	Chikmagalur Kodagu Grameena Bank	Corporation Bank	Karnataka
29	Krishna Grameena Bank	State Bank of India	Karnataka
30	Cauvery Kalpatharu Grameena Bank	State Bank of Mysore	Karnataka
31	Karnataka Vikas Grameen Bank	Syndicate Bank	Karnataka
32	Visveshvaraya Grameena Bank	Vijaya Bank	Karnataka
33	South Malabar Gramin Bank	Canara Bank	Kerala
34	North Malabar Gramin Bank	Syndicate Bank	Kerala
35	Sharda Gramin Bank	Allahabad Bank	Madhya Pradesh
36	Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank	Bank of Baroda	Madhya Pradesh
37	Narmada Malwa Gramin Bank	Bank of India	Madhya Pradesh
38	Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank	Central Bank of India	Madhya Pradesh
39	Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank	State Bank of Indore	Madhya Pradesh
40	Madhya Bharath Gramin Bank	State Bank of India	Madhya Pradesh
41	Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank	UCO Bank	Madhya Pradesh
42	Rewa Sidhi Gramin Bank	Union Bank of India	Madhya Pradesh
43	Maharashtra Gramin Bank	Bank of Maharashtra	Maharashtra
44	Wainganga Krishan Gramin Bank	Bank of India	Maharashtra
45	Vidharbha Kshetriya Gramin Bank	Central Bank of India	Maharashtra
46	Manipur Rural Bank	United Bank of India	Manipur
47	Meghalaya Rural Bank	State Bank of India	Meghalaya

48	Mizoram Rural Bank	State Bank of India	Mizoram
49	Nagaland Rural Bank	State Bank of India	Nagaland
50	Rushikulya Gramya Bank	Andhra Bank	Orissa
51	Baitarni Gramya Bank	Bank of India	Orissa
52	Neelachal Gramya Bank	Indian Overseas Bank	Orissa
53	Utkal Gramya Bank	State Bank of India	Orissa
54	Kalinga Gramya Bank	UCO Bank	Orissa
55	Puduvai Bharthiar Grama Bank	Indian Bank	Puducherry
56	Sutlej Gramin Bank	Punjab and Sind Bank	Punjab
57	Malwa Gramin Bank	State Bank of Patiala	Punjab
58	Punjab Gramin Bank	Punjab National Bank	Punjab
59	Baroda Rajasthan Gramin Bank	Bank of Baroda	Rajasthan
60	Mewar Anchalik Gramin Bank	Bank of Rajasthan	Rajasthan
61	Hadoti Kshetriya Gramin Bank	Central Bank of India	Rajasthan
62	MGB Gramin Bank	State Bank of Bikaner and Jaipur	Rajasthan
63	Jaipur Thar Gramin Bank	UCO Bank	Rajasthan
64	Rajasthan Gramin Bank	Punjab National Bank	Rajasthan
65	Pallavan Grama Bank	Indian Bank	Tamil Nadu
66	Pandyan Grama Bank	Indian Overseas Bank	Tamil Nadu
67	Tripura Gramin Bank	United Bank of India	Tripura
68	Allahabad UP Gramin Bank	Allahabad Bank	Uttar Pradesh
69	Baroda UP Gramin Bank	Bank of Baroda	Uttar Pradesh
70	Aryavart Gramin Bank	Bank of India	Uttar Pradesh
71	Shreyas Gramin Bank	Canara Bank	Uttar Pradesh
72	Ballia Etawah Gramin Bank	Central Bank of India	Uttar Pradesh
73	Sarva UP Gramin Bank	Punjab National Bank	Uttar Pradesh
74	Purvanchal Gramin Bank	State Bank of India	Uttar Pradesh
75	Prathma Bank	Syndicate Bank	Uttar Pradesh
76	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	Union Bank of India	Uttar Pradesh
77	Kshetriya Kisan Gramin Bank	UP State Cooperative Bank	Uttar Pradesh
78	Nainital Almora Kshetriya Bank	Bank of Baroda	Uttarakhand
79	Uttaranchal Gramin Bank	State Bank of India	Uttarakhand

80	Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank	Central Bank of India	West Bengal
81	Bangiya Gramin Vikash Bank	United Bank of India	West Bengal
82	Paschim Banga Gramin Bank	UCO Bank	West Bengal

THIRD SCHEDULE

(See rule 8 and 11)

Appointment to different categories of officers and employees to Group "A", "B" and "C" posts whether by direct recruitment or by promotion shall be effected as follows:

Part I - Group "A"

Recruitment and Promotion

I		Officer Junior Management (Scale I)	
a)	Name of Post	Officer Junior Management (Scale I)	
b)	Classification	Group "A"	
c)	Mode of appointment	50% by Direct Recruitment and 50% by Promotion from Group 'B'.	
(A)	For Direct Recruitment		
	(i) Age	Above 18 years but below 28 years (relaxation of age in case of Scheduled Caste/Scheduled Tribes candidates or candidates belonging to other Reserved categories in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government from time to time in this regard)	
	(ii) Minimum Qualification	(i) Bachelor degree of a recognised University in any discipline or its equivalent. Preference will be given to the candidates having degree in Agriculture, Horticulture, Forestry, Animal Husbandry, Veterinary Science, Agricultural Engineering, Pisciculture, Agricultural Marketing and Cooperation, Information Technology, Management, Law, Economics and Accountancy; (ii) Proficiency in local language, as may be specified by the Board; (iii) Computer knowledge or awareness will be an added qualification.	

(iii)	Selection process	<p>The Selection shall be made on the basis of written test and interview as under:</p> <table><tr><td>Written Test</td><td>70 marks</td></tr><tr><td>Interview</td><td>30 marks</td></tr><tr><td>Total</td><td>100 marks</td></tr></table> <p>The written test will be conducted by the Institute of Banking Personnel Selection or any other agency approved by the Sponsor Bank.</p> <p>The written test shall cover (a) Test of Reasoning, (b) Numerical Ability, (c) General Knowledge and (d) General English or Hindi. The candidates securing a minimum 40% marks in the written test shall qualify for interview. In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes categories, the minimum marks in the written test shall be 35% to qualify for interview.</p> <p>All those candidates who have secured minimum qualifying marks stipulated for written examination, in the order of merit, shall be called for interview upto the ratio of 1:3.</p> <p>The merit lists of successful candidates in each category shall be made separately on the basis of combined performance in the written test and interview.</p>	Written Test	70 marks	Interview	30 marks	Total	100 marks
Written Test	70 marks							
Interview	30 marks							
Total	100 marks							
(iv)	Preparation of Merit list	<p>Lists of successful candidates for appointment to Officer Junior Management (Scale I) shall be prepared on the basis of ranking accorded to them in the combined performance of written test and interview for General, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Special categories, separately.</p> <p>The number of selected candidates to be empanelled for recruitment shall be equal to the number of notified vacancies. In addition thereto, an additional panel of selected candidates not exceeding 50% of the notified vacancies as may be decided by the Board with a minimum of two candidates in each category, shall be drawn-up to meet exigencies.</p>						
(B)	For Promotion							
(i)	Mode of promotion	50% of the vacancies for promotion shall be filled under Normal Channel and 50% under Fast Track Channel as per eligibility and selection process given as follows:-						
(ii)	Eligibility	Promotion shall be made from amongst the employees holding, on full time and regular basis						

			<p>the post of Office Assistant (Multipurpose).</p> <p><u>Normal Channel</u></p> <p>Must have ten years experience as Office Assistant (Multipurpose) on full time and regular basis. The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1st day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen. Relaxation in eligibility criteria of one year service will be given to such of the candidates who have passed Junior Associate of the Indian Institute of Bankers(JAIB) of Indian Institute of Banking and Finance and one more year in case of such candidates who have passed Certified Associate of the Indian Institute of Bankers(CAIB) of Indian Institute of Banking & Finance. However, such relaxation will be available only once during the entire service period:</p> <p>Provided that no employee shall be considered for promotion unless he has been confirmed in the feeder grade post.</p> <p><u>Zone of consideration :</u></p> <p>Three times the number of vacancies including repeaters.</p> <p><u>Explanation.-</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vacancies under Normal Channel shall be filled after filling the vacancies under Fast Track Channel. 2. The Employees who are eligible under Normal Channel shall also be considered under Fast Track Channel. 3. There shall be common written examination and interview for both the channels. <p><u>Fast Track Channel:</u></p> <p>Must have six years service as Office Assistant (Multipurpose) on full time and regular basis and should have passed Graduation from a recognised University. The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1st day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen. Relaxation in eligibility criteria of one year service will be given to such of the candidates who have passed Junior Associate of the Indian Institute of Bankers(JAIB) of Indian Institute of</p>
--	--	--	---

		<p>Banking and Finance and one more year in case of such candidates who have passed Certified Associate of the Indian Institute of Bankers(CAIB) of Indian Institute of Banking & Finance. However, such relaxation will be available only once during the entire service period.</p> <p>Provided that no employee shall be considered for promotion unless he has been confirmed in the feeder grade post.</p> <p><u>Zone of consideration:</u></p> <p>All eligible employees.</p>														
	(iii)	<p>Selection Process</p> <p>The selection shall be on the basis of performance in the written test, interview and last five years performance appraisal reports as per the division of marks given below:</p> <table border="1"> <tr> <td>Written Test</td> <td>50 marks</td> </tr> <tr> <td>Interview</td> <td>20 marks</td> </tr> <tr> <td>Performance Appraisal Reports</td> <td>30 marks</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100 marks</td> </tr> </table> <p>The candidates shall be required to appear in a written test comprising test in General English or Hindi and General Banking knowledge. 50 marks allotted to written test shall be further divided as under :-</p> <table border="1"> <tr> <td>(i) General English or Hindi</td> <td>20 marks</td> </tr> <tr> <td>(ii) General Banking knowledge</td> <td>30 marks</td> </tr> <tr> <td>Total marks</td> <td>50 marks</td> </tr> </table>	Written Test	50 marks	Interview	20 marks	Performance Appraisal Reports	30 marks	Total	100 marks	(i) General English or Hindi	20 marks	(ii) General Banking knowledge	30 marks	Total marks	50 marks
Written Test	50 marks															
Interview	20 marks															
Performance Appraisal Reports	30 marks															
Total	100 marks															
(i) General English or Hindi	20 marks															
(ii) General Banking knowledge	30 marks															
Total marks	50 marks															
	(iv)	<p>Preparation of Merit List</p> <p><u>Normal Channel</u></p> <p>There shall be minimum qualifying marks of 50% in aggregate of written test, interview and performance appraisal reports.</p> <p>Selection of successful candidates for promotion shall be made by going down in Seniority Order starting from the top and selecting those found to score the said minimum qualifying marks of 50% in the aggregate up to a number equal to the number of vacancies notified for this channel.</p> <p><u>Fast Track Channel :</u></p> <p>There shall be minimum qualifying marks of 60% in aggregate of written test, interview and performance</p>														

			<p>appraisal reports.</p> <p>Selection will be based on the aggregate marks secured in the written test, interview and performance appraisal reports by placing the candidates in descending order of merit to the extent of number of vacancies.</p> <p>The vacancies under this channel, which remain unfilled for want of non-selection of adequate number of candidates shall lapse and shall be filled up by way of normal channel.</p>
(d)	Inter-se-Seniority		The Inter-se-seniority of all the empanelled officers selected through normal channel or fast track channel in their feeder posts shall remain unchanged.
(e)	Composition of the Committee for Interview		<p>The Committee shall consist of the following, namely:-</p> <p>(1) The Chairman of the Regional Rural Bank concerned . - Chairman</p> <p>(2) Director nominated by the Sponsor Bank - Member</p> <p>(3) Director nominated by the National Bank - Member</p> <p>Note: If none of the members of the Committee belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Board may nominate an officer of suitable position belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as an additional member of the Committee.</p>
(f)	Validity of the panel for direct recruitment and for promotion		The panel shall be valid for a period of one year.
II		Officer Middle Management (Scale II)	
(a)	Name of post		Officer Middle Management (Scale II)
(b)	Classification		Group "A"
(c)	Mode of appointment		25% by direct recruitment (of which 10% from Specialist cadre like Information Technology, Agriculture, Treasury, Law, Marketing, Chartered Accountants etc. and 15% from experienced officers) and 75% by promotion

(A)	For Direct Recruitment:	
(i)	Age	Above 21 years but below 32 years (relaxation of age in case of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes candidates or candidates belonging to other special categories in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
(ii)	Minimum Qualification and Eligibility	<p>(I) Information Technology</p> <p>Degree from a recognised University in Electronics / Communication / Computer Science / Information Technology or its equivalent with a minimum of 50% marks in aggregate.</p> <p>Desirable Experience :</p> <p>Certificate in ASP, PHP, C++, Java, VB, VC, OCP etc.</p> <p>Experience : One year</p> <p>(II) Chartered Accountants</p> <p>Experience : One Year</p> <p>(III) Law Officer</p> <p>Degree from a recognised University in Law or its equivalent with a minimum of 50% marks in aggregate.</p> <p>Experience.-</p> <p>Two years as an advocate or should have worked as Law Officer in Banks or Financial Institutions for a period not less than two years.</p> <p>(IV) Treasury Manager</p> <p>Candidate should be a Chartered Accountant or MBA in Finance from a reputed Institute.</p> <p>Experience.- one year</p> <p>(V) Marketing Officer</p> <p>MBA in Marketing from any Institute of repute.</p> <p>Experience - one year</p> <p>(VI) Agricultural Officer</p> <p>Degree from a recognised University in any discipline in Agriculture, Horticulture, Dairy, Animal Husbandry, Forestry, Veterinary Science, Agricultural Engineering, Pisciculture or its equivalent, with a minimum of 50% marks in</p>

			<p>aggregate.</p> <p>Experience :- Two years</p> <p>(VII) General Banking Officer</p> <p>Degree from a recognised University in any discipline or its equivalent with a minimum of 50% marks in aggregate. Preference will be given to the candidates having degree/ diploma in Banking, Finance, Marketing, Agriculture, Horticulture, Forestry, Animal Husbandry, Veterinary Science, Agricultural Engineering, Pisciculture, Agricultural Marketing and Co-operation, Information Technology, Management, Law, Economics and Accountancy.</p> <p>Experience.- Two years as an officer in Bank or Financial Institution.</p>
	(iii)	Selection process	<p>The selection of the candidates shall be on the basis of written test and interview. The written test shall be conducted through Institute of Banking Personnel Selection or any other agency approved by the Sponsor Bank.</p> <p>The candidates securing a minimum qualifying marks of 40% in the written test shall qualify for interview. In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes categories, the minimum qualifying marks in written test shall be 35% to qualify for interview.</p> <p>All those candidates who have secured minimum qualifying marks stipulated for written examination, in the order of merit, shall be called for interview upto the ratio 1:3.</p> <p>The merit lists of successful candidates in each category shall be made separately on the basis of combined performance in the written test and interview.</p>
	(iv)	Preparation of Merit List	<p>The list of successful candidates for appointment to Officer Middle Management (Scale II) shall be prepared on the basis of their combined performance of written test and interview for General, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Special categories, separately.</p> <p>The number of selected candidates to be empanelled for recruitment shall be equal to the number of notified vacancies. In addition thereto, an additional panel of selected candidates not exceeding 50% of the notified vacancies to be</p>

			decided by the Board with a minimum of two candidates in each category shall be drawn-up to meet exigencies.
(B)		For Promotion:	
	(i)	Mode of Promotion	50% of the vacancies for promotion shall be filled under Normal Channel and 50% under Fast Track Channel as per eligibility and selection process given as follows:-
	(ii)	Eligibility	<p>Promotion shall be made from amongst the officers holding the post of Officer Junior Management (Scale I), full time on a regular basis.</p> <p><u>Normal Channel :</u></p> <p>Must have eight years experience as Officer Junior Management (Scale I) on full time and regular basis. The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1st day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen. Relaxation in eligibility criteria of one year service will be given to such of the candidates who have passed Junior Associate of the Indian Institute of Bankers(JAIB) of Indian Institute of Banking and Finance and one more year in case of such candidates who have passed Certified Associate of the Indian Institute of Bankers(CAIB)of Indian Institute of Banking & Finance. However, such relaxation will be available only once during the entire service period:</p> <p>Provided that no officer shall be considered for promotion unless he has been confirmed in the feeder grade post.</p> <p><u>Zone of consideration :</u></p> <p>Three times the number of vacancies including repeaters.</p> <p><u>Explanation -</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vacancies under Normal Channel shall be filled after filling the vacancies under Fast Track Channel. 2. The Officers who are eligible under Normal Channel shall also be considered under Fast Track Channel. 3. There shall be common written examination and interview for both the channels.

			<p><u>Fast Track Channel:</u></p> <p>In Officer Junior Management (Scale I) for a period of six years. The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1st day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen. Relaxation in eligibility criteria of one year service will be given to such of the candidates who have passed Junior Associate of the Indian Institute of Bankers(JAIIB) of Indian Institute of Banking and Finance and one more year in case of such candidates who have passed Certified Associate of the Indian Institute of Bankers(CAIIB) of Indian Institute of Banking & Finance. However, such relaxation will be available only once during the entire service period.</p> <p><u>Zone of consideration</u></p> <p>All eligible officers.</p>								
	(iii)	Selection Process	<p>The selection shall be on the basis of performance in the written test, interview and performance appraisal reports for preceding five years as per the division of marks given below:-</p> <table border="1"> <tr> <td>Written Test</td> <td>50 Marks</td> </tr> <tr> <td>Interview</td> <td>20 marks</td> </tr> <tr> <td>Performance Appraisal Reports</td> <td>30 marks</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100 marks</td> </tr> </table> <p>50 marks allotted to written test shall be further divided as under :-</p> <p>Part "A" : 25 marks Part "B" : 25 marks</p> <p>The candidates shall be required to appear for a written test comprising of two parts namely Part (A) covering Banking Law and Practice of Banking and Part (B) covering Credit Policy, Credit Management including Priority Sector, Economics and Management.</p>	Written Test	50 Marks	Interview	20 marks	Performance Appraisal Reports	30 marks	Total	100 marks
Written Test	50 Marks										
Interview	20 marks										
Performance Appraisal Reports	30 marks										
Total	100 marks										
	(iv)	Preparation of Merit List	<p><u>Normal Channel :</u></p> <p>There shall be minimum qualifying marks of 50% in aggregate of written test, interview and performance appraisal reports.</p> <p>Selection of successful candidates for promotion, shall be made by going down in Seniority Order</p>								

			<p>starting from the top and selecting those found to score the said minimum qualifying marks of 50% in the aggregate up to a number equal to the number of vacancies notified for this channel.</p> <p>Fast Track Channel :</p> <p>The selection of candidates shall be made by the Committee in order of merit on the basis of written test, interview and performance appraisal reports .</p> <p>There shall be minimum qualifying marks of 60% in aggregate in the written test, interview and performance appraisal reports. Selection will be based on the aggregate marks secured in the written test, interview and performance appraisal reports by placing the candidates in descending order of merit to the extent of number of vacancies.</p> <p>The vacancies under this channel, which remain unfilled for want of non-selection of adequate number of candidates shall lapse and shall be filled up by way of normal channel.</p>
	(d)	Inter-se-Seniority	The Inter-se-seniority of all the empanelled officers selected through normal channel or fast track channel in their feeder posts shall remain unchanged.
	(e)	Composition of the Committee for Interview	<p>The Committee shall consist of the following, namely :-</p> <p>(1) The Chairman of the Regional Rural Bank concerned - Chairman</p> <p>(2) Director nominated by the Sponsor Bank - Member</p> <p>(3) Director nominated by the National Bank - Member</p> <p>Note: If none of the members of the Committee belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Board may nominate an officer of suitable position belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as an additional member of the Committee.</p>
	(f)	Validity of the Panel for Direct Recruitment and for Promotion	The panel shall be valid for a period of one year.
III		Officer Middle Management (Scale III)	
	(a)	Name of Post	Officer Middle Management (Scale III)
	(b)	Classification	Group "A"

(c)	Mode of Appointment	10% by direct recruitment and 90% by promotion
(A)	For Direct Recruitment	
	(i) Age	Below the age of 40 years (relaxation of age in the case of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes candidates or candidates belonging to other Special categories in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
	(ii) Minimum Qualification and Eligibility	<p>Degree from a recognised University in any discipline or its equivalent with a minimum of 50% marks in aggregate.</p> <p>Preference will be given to the candidates having Degree/ Diploma in Banking, Finance, Marketing, Agriculture, Horticulture, Forestry, Animal Husbandry, Veterinary Science, Agricultural Engineering, Pisciculture, Agricultural Marketing and Co-operation, Information Technology, Management, Law, Economics and Accountancy.</p> <p>Experience : Minimum 5 years experience as an Officer in any Bank or Financial Institutions.</p>
	(iii) Selection process	<p>The selection of the candidates shall be on the basis of written test and interview. The written test shall be conducted through Institute of Banking Personnel Selection or any other agency approved by the Sponsor Bank.</p> <p>The candidates securing a minimum qualifying marks of 40% in the written test shall qualify for interview. In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes categories, the minimum qualifying marks in the written test shall be 35% to qualify for interview.</p> <p>All those candidates who have secured minimum qualifying marks stipulated for the written examination, in the order of merit, shall be called for interview upto the ratio 1:3.</p> <p>The merit lists of successful candidates in each category shall be made separately on the basis of combined performance in the written test and interview.</p>
	(iv) Preparation of Merit List	The list of successful candidates for appointment to Officer Middle Management (Scale III) shall be made on the basis of their combined performance of written test and interview for General, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Special categories, separately.

			The number of selected candidates to be empanelled for recruitment shall be equal to the number of notified vacancies. In addition thereto, an additional panel of selected candidates not exceeding 50% of the notified vacancies as may be decided by the Board with a minimum of two candidates in each category shall be drawn-up to meet exigencies.
(B)		For Promotion :	
	(i)	Mode of Promotion	50% of the vacancies for promotion shall be filled under Normal Channel while 50% under Fast Track Channel as per eligibility and selection process given as follows:-
	(ii)	Eligibility	<p>Promotion shall be made from amongst the officers holding, on full time and regular basis, the post of Officer Middle Management (Scale II).</p> <p><u>Normal Channel</u></p> <p>Must have seven years experience as an Officer Middle Management (Scale II). The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1st day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen. Relaxation in eligibility criteria of one-year service will be given to such of the candidates who have passed Junior Associate of the Indian Institute of Bankers(JAIIB) of Indian Institute of Banking and Finance and one more year in case of such candidates who have passed Certified Associate of the Indian Institute of Bankers(CAIB) of Indian Institute of Banking & Finance. However, such relaxation will be available only once during the entire service period:</p> <p>Provided that no officer shall be considered for promotion unless he has been confirmed in the feeder grade post.</p> <p><u>Zone of consideration:</u></p> <p>Three times of the number of vacancies including repeaters.</p> <p>Explanation.-</p> <p>(1) Vacancies under Normal Channel shall be filled after filling the vacancies under Fast Track Channel.</p> <p>(2) The Officers who are eligible under Normal Channel shall also be considered under Fast Track Channel.</p>

		<p>(3) There shall be a written Examination for Fast Track Channel.</p> <p><u>Fast Track Channel :</u></p> <p>Must have five years experience as an Officer Middle Management (Scale II). The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1st day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen. Relaxation in eligibility criteria of one-year service will be given to such of the candidates who have passed Junior Associate of the Indian Institute of Bankers (JAIIB) of Indian Institute of Banking and Finance and one more year in case of such candidates who have passed Certified Associate of the Indian Institute of Bankers(CAIIB) of Indian Institute of Banking & Finance. However, such relaxation will be available only once during the entire service period:</p> <p>Provided that no officer shall be considered for promotion unless he has been confirmed in the feeder grade post.</p> <p><u>Zone of consideration :</u></p> <p>All eligible officers.</p>						
(iii)	Selection Process	<p><u>Normal Channel :</u></p> <p>The selection shall be on the basis of performance in the interview and performance appraisal reports for preceding six years as per the division of marks given below:</p> <table border="1"> <tr> <td>Interview</td> <td>40 marks</td> </tr> <tr> <td>Performance Appraisal Reports</td> <td>60 marks</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100 marks</td> </tr> </table> <p>The minimum qualifying marks in the interview shall be 50%.</p> <p>Performance Appraisal Reports for the preceding six years shall be considered for the purpose of awarding marks for promotion. The minimum qualifying marks in the performance appraisal reports shall also be 50%.</p> <p><u>Fast Track Channel :</u></p> <p>The selection shall be on the basis of performance in the written test, interview and performance appraisal reports for preceding six years as per the</p>	Interview	40 marks	Performance Appraisal Reports	60 marks	Total	100 marks
Interview	40 marks							
Performance Appraisal Reports	60 marks							
Total	100 marks							

			channel in their feeder posts shall remain unchanged.						
(e)	Composition of the Committee for Interview		<p>The Committee shall consist the following persons, namely :-</p> <p>(1) The Chairman of the Regional Rural Bank concerned – Chairman</p> <p>(2) Director nominated by the Sponsor Bank – Member</p> <p>(3) Director nominated by the National Bank – Member</p> <p>Note:- If none of the members of the Committee belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Board may nominate an officer of suitable position belonging to the the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as an additional member of the Committee.</p>						
(f)	Validity of the Panel for Direct Recruitment and for Promotion		The panel shall be valid for a period of one year.						
IV		Officer Senior Management (Scale IV)							
(a)	Name of post	Officer Senior Management (Scale IV)							
(b)	Classification	Group "A"							
(c)	Mode of appointment	By promotion or deputation as per eligibility and selection process given hereinafter.							
(A)	For Promotion								
(i)	Eligibility	<p>Promotion shall be made from amongst the officers holding, on a regular basis, the post of Officer Middle Management (Scale III) for a period of four years. The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1st day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen.</p> <p><u>Zone of consideration:</u></p> <p>All Eligible Officers.</p>							
(ii)	Selection Process	<p>The selection shall be on the basis of combined performance in the interview and performance appraisal reports for preceding four years as per the division of marks given below:</p> <table border="1"> <tr> <td>Interview</td> <td>40 marks</td> </tr> <tr> <td>Performance Appraisal Reports</td> <td>60 marks</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100 marks</td> </tr> </table>		Interview	40 marks	Performance Appraisal Reports	60 marks	Total	100 marks
Interview	40 marks								
Performance Appraisal Reports	60 marks								
Total	100 marks								
(iii)	Preparation of Merit list	List of successful candidates for promotion shall be made by the Committee in order of merit on the basis of combined performance of interview and							

26794/10-8

			performance appraisal reports. The number of selected candidates to be empanelled for promotion shall be equal to the number of notified vacancies in the order of merit.		
	(iv)	Inter-se-seniority	The Inter-se-seniority of all the empanelled officers in their feeder posts shall remain unchanged.		
	(v)	Composition of Committee for Interview	The Committee shall consist of the following, namely:- (1) The Chairman of the Regional Rural Bank concerned – Chairman (2) Director nominated by the Sponsor Bank – Member (3) Director nominated by the National Bank – Member Note: If none of the members of the Committee belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Board may nominate an officer of suitable position belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes from the Regional Rural Bank or Sponsor Bank or National Bank as an additional member of the Committee.		
	(vi)	Validity of the Panel	The panel shall be valid for a further period of one year.		
	(B)	For Deputation			
		Criteria	Officers holding analogous post in Regional Rural Bank sponsored by the same Sponsor Bank.		
V		Officer Senior Management (Scale V)			
	(i)	Name of the post	Officer Senior Management (Scale V)		
	(ii)	Classification	Group "A"		
	(iii)	Mode of appointment	By promotion as per eligibility and selection process given hereinafter.		
	(iv)	Eligibility	Promotion shall be made from amongst the officers holding, on a regular basis, the post of Officer Senior Management (Scale IV) for a period of three years. The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1 st day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen. <u>Zone of consideration:</u> All eligible officers.		
	(v)	Selection Process	The selection shall be on the basis of combined performance in the interview and performance appraisal reports for preceding six years as per the division of marks given below: <table><tr><td>Interview</td><td>40 marks</td></tr></table>	Interview	40 marks
Interview	40 marks				

			Performance Appraisal Reports	60 marks
			Total	100 marks
	(vi)	Preparation of Merit list	List of successful candidates for promotion shall be made by the Committee in order of merit on the basis of combined performance of interview and performance appraisal reports. The number of selected candidates to be empanelled for promotion shall be equal to the number of notified vacancies in the order of merit.	
	(vii)	Inter-se-seniority	The Inter-se-seniority of all the empanelled officers in their feeder posts shall remain unchanged.	
	(viii)	Composition of Committee	<p>The Committee shall consists of the following, namely:-</p> <p>(1) The General Manager of the Regional Rural Bank Division of the Sponsor Bank - Chairman</p> <p>(2) One of the RRB Chairmen of the same Sponsor Bank, to be nominated by the Sponsor Bank - Member</p> <p>(3) An Officer nominated by National Bank not below the rank of General Manager - Member</p> <p>Note: If none of the members of the Committee belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Board may nominate an officer of suitable position belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes from the Regional Rural Bank or Sponsor Bank or National Bank as an additional member of the Committee.</p>	
	(ix)	Validity of the Panel	The panel shall be valid for a period of one year.	

Note :

1. The incumbents eligible for promotion on or before the publication of this notification shall continue to be considered for promotion.
2. The service of the incumbents, who are holding the posts eligible for promotion before publication of this notification, shall continue to be counted for the purpose of promotion.

Part II - Group "B"
Recruitment and Promotion

Office Assistant (Multipurpose)		
1	(a)	Name of Post
	(b)	Classification
	(c)	Mode of Appointment
	(A)	For Direct Recruitment :
	(i)	Age
	(ii)	Minimum Qualification and Eligibility
	(iii)	Selection Process

Office Assistant (Multipurpose)

Group "B"

75% by direct recruitment and 25% by promotion

Between 18 years and 28 years (relaxation of age in case of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes candidates or candidates belonging to other Special categories in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government in this regard from time to time)

(i) Bachelor Degree or its equivalent of a recognised University in any discipline;
(ii) (a) Essential: Proficiency in local language as may be specified by the Board (b) Desirable: Knowledge of Computer skills.

The Selection shall be made on the basis of written test and interview as under:

Written Test : 70 marks
Interview : 30 marks

The written test shall be conducted by the Institute of Banking Personnel Selection or any other agency approved by the Sponsor Bank.

The written test shall cover (a) Test of Reasoning, (b) Numerical Ability, (c) General Knowledge and (d) General English or Hindi.

The candidate securing a minimum of 40% marks in the written test shall qualify for interview. In the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes categories, the minimum marks in the written test shall be 35% to qualify for interview.

All those candidates who have secured minimum qualifying marks in written examination, in the order of merit, shall be called for interview upto the ratio of 1:3.

The merit lists of successful candidates in each category shall be made separately on the basis of combined performance in the written test and interview.

	(iv) Preparation of Merit list	<p>Lists of successful candidates for appointment to Office Assistant (Multipurpose) shall be prepared on the basis of ranking accorded to them based on aggregate marks in written test and interview for General, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Special categories, separately.</p> <p>The number of selected candidates to be empanelled for promotion shall be equal to the number of notified vacancies in the order of seniority. In addition thereto, an additional panel of selected candidates not exceeding 50% of the notified vacancies as may be decided by the Board with a minimum of two candidates for each category, shall be drawn upto meet the exigencies.</p>
	(B) For Promotion	
	(i) Mode of promotion	<p>70% of the vacancies by promotion under Normal Channel and 30% under Fast Track Channel as per eligibility and selection process given hereinafter.</p>
	(ii) Eligibility	<p>Promotion shall be made from amongst the employees holding the post of Office Attendant (Multipurpose on a regular basis.</p> <p><u>Normal Channel :</u></p> <p>Must have ten years experience as Office Attendant (Multipurpose) and also must have passed 10th Standard. The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1st day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen.</p> <p>Provided that no employee shall be considered for promotion unless he has been confirmed in the feeder grade post</p> <p><u>Zone of consideration:</u></p> <p>Three times of the number of vacancies including repeaters.</p> <p><u>Explanation:-</u></p> <p>(1) Vacancies under Normal Channel shall be filled after filling the vacancies under Fast Track Channel.</p> <p>(2) The Employees who are eligible under Normal Channel shall also be considered under Fast Track Channel.</p> <p>(3) There shall be common written examination and interview for both the channels.</p>

		<p><u>Fast Track Channel :</u></p> <p>Must have five years experience as Office Attendant (Multipurpose) with Graduation from a recognised University. The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1st day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen:</p> <p>Provided that no employee shall be considered for promotion unless he has been confirmed in the feeder grade post</p> <p><u>Zone of consideration:</u></p> <p>All eligible employees.</p>												
	(iii) Selection Process	<p>The selection shall be on the basis of combined performance in the written test and interview as per the division of marks, given below :</p> <table border="1"> <tr> <td>Written Test</td><td>70 Marks</td></tr> <tr> <td>Interview</td><td>30 marks</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>100 marks</td></tr> </table> <p>The candidates shall be required to appear for a written test comprising test in English or Hindi and Arithmetic. 70 marks allotted to written test shall be further divided as under:</p> <table border="1"> <tr> <td>English or Hindi</td><td>35 marks</td></tr> <tr> <td>Arithmetic</td><td>35 marks</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>70 marks</td></tr> </table>	Written Test	70 Marks	Interview	30 marks	Total	100 marks	English or Hindi	35 marks	Arithmetic	35 marks	Total	70 marks
Written Test	70 Marks													
Interview	30 marks													
Total	100 marks													
English or Hindi	35 marks													
Arithmetic	35 marks													
Total	70 marks													
	(iv) Preparation of Merit list	<p><u>Normal Channel :</u></p> <p>Selection of candidates for promotion shall be on the basis of combined performance in Written Test and Interview for General, Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Special Categories, separately.</p> <p>There shall be a minimum cut off mark of 40% in aggregate of written test and interview.</p> <p>The number of selected candidates to be empanelled for promotion shall be equal to the number of notified vacancies in the order of seniority from among the candidates who secure the minimum cut off marks.</p>												

			<p>Fast Track Channel:</p> <p>The selection of candidates shall be made by the Committee in order of merit on the basis of combined performance in written test and interview for General, Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Special Categories, separately.</p> <p>There shall be a minimum cut off marks of 45% in aggregate in the written test and interview. Selection shall be based on the aggregate marks obtained in the written test and interview by placing the candidates in descending order of merit to the extent of number of vacancies.</p> <p>The vacancies under this channel, which remain unfilled for want of non-selection of adequate number of candidates shall lapse and shall be filled up by way of normal channel.</p>
	(d)	Inter-se-seniority	The Inter-se-seniority of all the empanelled employees selected through normal channel or fast track channel in their feeder posts shall remain unchanged.
	(e)	Composition of the Committee for Interview	<p>The Committee shall consist of the following persons, namely:-</p> <p>(1) The General Manager and where there is no General Manager, an officer nominated by the Board of Regional Rural Bank - Chairman</p> <p>(2) An officer of the Regional Rural Bank concerned not below the rank of officer scale II as nominated by the Board - Member</p> <p>(3) An officer nominated by the Sponsor Bank - Member</p> <p>(4) An officer nominated by the National Bank - Member.</p> <p>Note: If none of the members of the Committee belongs to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, the Board may nominate an officer of suitable position belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe as an additional member of the Committee.</p>
	(f)	Validity of the panel for direct recruitment and for promotion	The panel shall be valid for a period of one year.

Note:

1. The incumbents eligible for promotion on or before the publication of this notification shall continue to be considered for promotion.
2. The service of the incumbents, who are holding the posts eligible for promotion before publication of this notification, shall continue to be counted for the purpose of promotion.

Part III - Group "C"

Recruitment

Office Attendant (Multipurpose)			
1.	(a)	Name of Post	Office Attendant (Multipurpose)
	(b)	Classification	Group "C"
	(c)	Mode of Appointment	100% by direct recruitment
	(d)	Age	Above 18 years but below 28 years (relaxation in case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes candidates or candidates belonging to other Special categories in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government of India in this regard from time to time.
	(e)	Minimum Qualification and Eligibility	A Minimum of Tenth Standard Pass or equivalent from an Education Board recognised by the State Government and other skills required for specific jobs, as may be decided by the Board.
	(f)	Selection Process	On the basis of interview.
	(g)	Preparation of Merit list	<p>Lists of successful candidates for appointment to Office Attendant (Multipurpose) shall be prepared on the basis of ranking accorded to them in Interview for General, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Special categories, separately.</p> <p>The number of selected candidates to be empanelled for recruitment shall be equal to the number of notified vacancies. In addition thereto, an additional panel of selected candidates not exceeding 50% of the notified vacancies as may be decided by the Board, with a minimum of two candidates for each category, shall be drawn up to meet exigencies in all categories.</p>
	(h)	Composition of the Committee	<p>The Committee shall consist of the following persons, namely</p> <p>(1) The General Manager and where is no General Manager, an officer not below Scale III nominated by the Board of Regional Rural Bank - Chairman</p> <p>(2) An officer of the Regional Rural Bank concerned, not below Scale II as nominated by the Board - Member</p> <p>(3) An officer nominated by the Sponsor Bank - Member</p> <p><u>Note:</u> If none of the members of the Committee belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Board may nominate an officer of suitable position belonging to the</p>

				Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as an additional member of the Committee.
	(i)		Validity of the Panel	The panel shall be valid for a period of one year.

Note :

1. The incumbents eligible for promotion on or before the publication of this notification shall continue to be considered for promotion.
2. The service of the incumbents, who are holding the posts eligible for promotion before publication of this notification, shall continue to be counted for the purpose of promotion.

[F. No. 7/5/2009-RRB]

K. V. EAPEN, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published under S.O. 895(E) dated 28.9.1988 and subsequent amended vide S.O. No. 642(E) dated 29.7.1998